Shri Hajarnavis; No, Sir.

श्री शिव नारायण: जो कालेज यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध हैं वहां काम करने वाले प्रोफेसरों को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की तरह से ही वेतन मिले, दोनों का वेतन एक समान हो, यह जो कमीशन का नियम है, इसको क्या आप लागू करते हैं या नहीं ?

श्री हजरनवीस : इसके बारे में जरूर सोच विचार किया जाएगा। सरकार कोशिश कर रही है लगन से कि यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध जो विद्यालय है उन दोनों के बीच तनख्वाह का स्तर एक सा होना चाहिए।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

+

*632. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** **श्री विश्राम प्रसाद :** }

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की अनिश्चित नीति के कारण उन सरकारी कार्यालयों में भी हिन्दी में काम बन्द कर दिया गया है जहां यह शुरू किया जा चुका था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दी भाषी राज्यों को भी केन्द्र से हिन्दी में पत्र व्यवहार करने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह सभी सच है कि उन सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी में नोटिंग करना शुरू कर दिया था, उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपना काम अंग्रेजी में करने के लिये बाध्य किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री ल० ना० मिश्र**): (क) तथा (ग) जी नहीं। केन्द्र के सरकारी कामों में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोतर बढ़ाने के लिये सरकार ने विभिन्न प्रारम्भिक कार्य हाथ में लिये हैं। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि विभिन्न मन्त्रालयों के जिन चुने हुए अनुभागों में हिन्दी में कार्य आरम्भ किया गया था, उनमें अब बन्द कर दिया गया है, या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य न करने के लिये कहा गया है।

(ख) दिसम्बर 1964 में हुई मुख्य मन्त्रियों की कान्फ्रेंस में यह तय हुआ था कि ऐसी प्रथा होनी चाहिये कि यदि मूल पत्र हिन्दी में हो, तो उसके साथ उसका अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मंत्री महोदय इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से दे सकेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए जो हिन्दी प्रशिक्षण योजना आरम्भ की गई है, उस में अब तक कितने कर्मचारी प्रशिक्षित किये जा चुके हैं और उनमें से कितने प्रतिशत से उस योग्यता का लाभ उठाया जा रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : सही आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन लगभग दो ढाई लाख लोग हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है और इसके लिए उनको इंसेंटिव दिया जाता है, उनकी तनख्वाह में कुछ वृद्धि होती है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि जिन्होंने यह हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है क्या उन से काम भी कराया जा रहा है, यदि कराया जा रहा है तो कितने प्रतिशत से ?

श्री ल० ना० मिश्र : बात यह है कि एक दो व्यक्तियों के ही किसी विभाग में शिक्षा ले लेने से हिन्दी में काम नहीं हो सकता है। अधिकतर लोग हिन्दी के हो जायें तो तभी काम हिन्दी में किया जा सकता है। एक दो ही आदमी हिन्दी जानने वाले होंगे और हिन्दी में काम करायेंगे तो उस विभाग में काम ठीक

से नहीं चल सकेगा । इसलिए जिस विभाग में अधिकतर लोग हिन्दी जानने वाले हों और वहां पर हिन्दी में वे लिखें तो उन पर कोई रोक नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हिन्दी भाषी राज्य जो केन्द्रीय सरकार के साथ अपना पत्र व्यवहार करते हैं, केन्द्रीय सरकार उनको इस बात के लिए क्यों विवश करती है कि वे उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजें ? इसका परिणाम यह होगा कि कोई कर्मचारी हिन्दी में पत्र नहीं भेजेगा, अनुवाद की कठिनाई के कारण । इसलिए केन्द्रीय सरकार कुछ ऐसी योजना भी बना रही है, इस प्रकार की व्यवस्था करने की भी सोच रही है कि यहीं उसका अनुवाद हो जाए, और प्रान्तों को उस व्यवस्था में न फंसना पड़े ?

श्री ल० ना० मिश्र : विवश करने की कोई बात नहीं है । दिसम्बर महीने में सब प्रान्तों के मुख्य मंत्री मिले थे । जो हिन्दी भाषी प्रान्तों के मुख्य मंत्रीथे उन्होंने यह सुझाव दिया कि अगर वह केवल हिन्दी में लिखेंगे तो काम में शीघ्रता नहीं होगी । उत्तर प्रदेश के और बिहार के मुख्य मंत्रियों ने यह कहा कि अगर हम खाद्य मंत्री को पत्र लिखें हिन्दी में तो शायद उन को खाद्य जल्दी मिलेगा ही नहीं । इसलिये उन्होंने यह कहा कि हिन्दी में पत्र लिखेंगे लेकिन साथ साथ उसका अंग्रेजी ट्रांस्लेशन भी भेजेंगे । केवल शीघ्रता के कारण उन्होंने यह किया है । नीति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर वह अंग्रेजी ट्रांस्लेशन न भेजना चाहें तो हम उन पर दबाव नहीं डालना चाहते । उन्होंने स्वेच्छा से यह काम किया है ।

श्री रामसेवक यादव : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जब संसद् सदस्य विभिन्न मंत्रालयों को हिन्दी में पत्र लिखते हैं तो कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिन का उत्तर अंग्रेजी में आता है । यदि है, तो किस वजह से ऐसा होता है । क्या उन मंत्रालयों में हिन्दी जानने वाले नहीं हैं या जान बूझ कर ऐसा किया जाता है ।

श्री ल० ना० मिश्र : हिदायत तो यही है कि हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में जाया करे । अगर कहीं ऐसी बात नहीं है तो यह सही बात नहीं है । ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री यशपाल सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो मूल प्रश्न है उस के भाग (ग) में लिखा हुआ है कि क्या यह भी सत्य है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने पिछले वर्षों में हिन्दी में नोटिंग करना शुरू किया था उन्हें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हिन्दी में लिखने के लिये बाध्य किया जाता है । यह गलत छप गया है । हिन्दी के स्थान पर अंगेजी होना चाहिये अर्थात् अंग्रेजी में लिखने के लिये बाध्य किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि जो गलती हुई है उसकी जिम्मेदारी किस पर है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या यह सच है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को निरुत्साहित किया जाता है और जो करते हैं उन्हें उस से रोका जाता है ।

श्री ल० ना० मिश्र : नहीं यह सत्य नहीं है । हर मंत्रालय में जो सरकार की नीति है उसी के अनुसार काम होता है । अगर कोई मंत्रालय अलग तरह से काम करता है तो वह ठीक नहीं है । ऐसा नहीं होना चाहिये ।

Shri Kapur Singh: Sir, in view of the present Indo-Pakistan conflict and the extra-ordinary situation it has given rise to, have the Government considered the advisability of relegating Hindi to where it belongs —a provincial status language (*Interruption*). Sir, I have not asked for an answer from the House (*Interruptions*). I want an answer from the Treasury Benches.

Shri A. P. Sharma: It has got nothing to do with the emergency; it is irrelevant. (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order

Shr Kapur Singh: Sir, my question has not been answered.

Shri L. N. Mishra: I said no, Sir.

Shri Kapur Singh: It is a very depressing reply.

Shri U. M. Trivedi: May I know if it has been brought to the notice of the Government, particularly of the Home Ministry, that efficient officers well versed in their work having received their promotions year after year have now been put down in the service of the Central Board of Revenue simply because they have offered to take examinations in Hindi rather than in English?

Shri L. N. Mishra: It has not been brought to our notice, and I do not think it can happen like this.

श्री प्र० प्र० शर्मा : क्या यह ठीक नहीं है कि हिन्दी पत्रों का अनुवाद कर के जो अंग्रेजी पत्र हिन्दी भाषी प्रान्तों में भेजा जाता है उसका नतीजा यह है कि जो हिन्दी भाषी प्रान्त हैं उन को मजबूर होकर केन्द्र को अंग्रेजी में लिखना पड़ता है जिस का परिणाम यह है कि उन प्रान्तों में जो कर्मचारी हिन्दी में काम करते थे उनको अंग्रेजी में काम करने के लिये बाध्य किया जाता है ।

Mr. Deputy-Speaker: He has given the reply.

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसा ही सवाल श्री प्रकाशवीर शास्त्री का था । मैंने उन को उत्तर दिया कि यह बात सही नहीं है और न हम किसी को बाध्य कर रहे हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्तियां का अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित होता है । अगर नहीं तो क्यों नहीं ।

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा मैंने बतलाया, पहले कुछ अंग्रेजी में प्रकाशित होती थीं और कुछ हिन्दी में प्रकाशित होती थी । लेकिन जब ... ी भारत की राज भाषा बन गई है, ... जनवरी 26, 1965 से हम ने यह तय किया कि कुछ ऐसी चीज हैं जो हिन्दी में अवश्य ही प्रकाशित हो ।

Shrimati Ramdulari Sinha: May I know which of the Hindi-speaking States have switched over completely to Hindi in their communications with the Government of India?

Shri L. N. Mishra: It is difficult to say. I would say that no State Government has switched over to Hindi completely.

श्रीमती जयाबेन शाह : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस मंत्रालय ने ऐसी बात तय की है कि जो डिपार्टमेंट हिन्दी में काम कर रहे हैं उनको कुछ इन्सेन्टिव दिया जाये ।

श्री ल० ना० मिश्र: यह अच्छा सुझाव है लेकिन हम डिपार्टमेंट के आधार पर नहीं व्यक्ति के आधार पर ऐसा करते हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे राज्य सरकारों को बाध्य नहीं करते हैं कि वह हिन्दी के साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजें । लेकिन उन्होंने एक आशंका बतलाई कि यदि राज्य सरकारें हिन्दी में पत्र भेजेंगी और अनुवाद नहीं भेजेंगी तो उसके उत्तर में कुछ समय लग जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस आशंका को दूर करने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सिरे पर, जिस को रिसीविंग एंड कहते हैं, उन पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद करवाने की कोई व्यवस्था की है या कर रहे हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : अभी तक हम ने नहीं किया है इस प्रकार क्योंकि जो पत्र आते हैं राज्य सरकारों से उनका ट्रांस्लेशन साथ आता है । अगर वह ऐसा नहीं कर पायेंगे तब हम को बाध्य होकर ऐसा करना पड़ेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मेरा प्रश्न दूसरा था । मंत्री महोदय ने बतलाया कि वह

बाध्य नहीं करते हैं राज्य सरकारों को । मैंने पूछा था कि अगर राज्य सरकारें हिन्दी में पत्र भेजें तो उनको उत्साहित करने के लिये क्या इस एण्ड पर उन के अंग्रेजी अनुवाद का कोई प्रबन्ध किया गया है ।

श्री ल० ना० मिश्र : हिन्दी भाषी प्रान्तों को हमें इस के लिये उत्साहित करना पड़े यह दुर्भाग्य की बात होगी । वह खुद उत्साहित हैं और समझती हैं कि उन को क्या करना चाहिये ।

Shri M. R. Krishna: May I know if the Government have tried to make any change in the language of instructions given to the defence forces in the forward areas which may create confusion?

Shri L. N. Mishra: I am not aware of its creating any confusion in the defence services.

Pakistani Spies in Jammu and Kashmir

+

*633. **Shri Rameshwar Tantia:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 297 on the 24th February, 1965 and state:

(a) whether the investigation against the persons who were alleged to be Pakistani spies in Jammu and Kashmir has been completed;

(b) if so, the findings thereof;

(c) whether it is also a fact that there had been an increase in the number of Pakistani spies in Jammu and Kashmir during the last two months; and

(d) if so, how many persons have so far been suspected as Pakistani spies and the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Yes, Sir. Legal proceedings have been started against the two persons arrested in Mendhar and the cases are *sub-judice*. The material available against the other three persons was not sufficient for criminal prosecution; but there was sufficient ground for preventive detention, and these persons have therefore been detained.

(c) Yes, Sir.

(d) 11 persons since October, 1964. They are being dealt with according to law.

श्री रामेश्वर टांटिया : पिछले छः महीने से काश्मीर में पाकिस्तान के स्पाइज और घुसपैठिये बड़ी संख्या में आते रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने उन स्पाइज की संख्या 11 बतलाई है । मैं जानना चाहता हूं कि जो स्पाइज हैं और जो घुसपैठिये हैं उन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है । कैसे पता चलता है कि यह घुसपैठिये हैं और यह स्पाइज हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : स्पाई और इन्फिल्ट्रेटर में बहुत फर्क है । जो इन्फिल्ट्रेटर होते हैं वह हथियारों से लैस हो कर आते हैं । जहां तक स्पाइज का सवाल है, यह जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान से ही आये हुए हों । वे छिप कर काम करते हैं और खुफिया का काम करते हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सही नहीं है कि काश्मीर के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि पाकिस्तान के स्पाइज और घुसपैठिये कुछ दिनों से काश्मीर में आ रहे हैं और क्या यह सही है कि सरकार ने उनको रोकने के लिये प्रयत्न किया है ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह बात सही है कि सन् 1949 से पाकिस्तान ने अपने खुफियों अर्थात् अपने गुप्तचरों के भेजने का काम शुरू किया । सन् 1957 से उन्होंने इस काम को और ज्यादा जोर से किया और सीज फायर लाइन पर उन्हें ने एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर कायम कर लिया । उन्होंने बहुत से लोगों को भेजा है और काफी पैसा खर्च करके, उनको काफी आधुनिक साधन